

कार्यवृत्त विवरण

मैसर्स नरेन्द्र तिवारी, सैन्ड स्टोन माइन्स (खनन पट्टा संख्या 27/1994, क्षेत्रफल 10.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम राजपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 8,96,691.72 टन प्रतिवर्ष (सैन्ड स्टोन खनिज 807022.548 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट 89669.172 टन प्रतिवर्ष) की पर्यावरण स्वीकृति बाबत जन सुनवाई दिनांक 16.12.2022 को अपरान्ह 03.00 बजे, राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, ग्राम जौतरौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर का कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आँकलन अधिसूचना, कमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.06 तथा यथा संशोधित दिसम्बर 2009 एवं Office Memorandum No. J-11015/387/2008-I A, 11 (m) dated 28th Sep. 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स नरेन्द्र तिवारी, सैन्ड स्टोन माइन्स (खनन पट्टा संख्या 27/1994, क्षेत्रफल 10.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम राजपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 8,96,691.72 टन प्रतिवर्ष (सैन्ड स्टोन खनिज 807022.548 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट 89669.172 टन प्रतिवर्ष) की पर्यावरण स्वीकृति बाबत जन सुनवाई दिनांक 16.12.2022 को अपरान्ह 03.00 बजे, राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, ग्राम जौतरौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर में जन सुनवाई आयोजित की गयी। उल्लेखनीय है कि उक्त खनन पट्टा ताज ट्रेपेजियम जोन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट— 'अ' पर संलग्न है जन सुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 10.11.2022 को दैनिक भास्कर (भरतपुर संस्करण) एवं दिनांक 11.11.2022 को सांध्य ज्योति दर्पण में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियां परिशिष्ट— 'ब' पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्री विवेक गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया कि यह जनसुनवाई, मैसर्स नरेन्द्र तिवारी, सैन्ड स्टोन माइन्स (खनन पट्टा संख्या 27/1994, क्षेत्रफल 10.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम राजपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 8,96,691.72 टन प्रतिवर्ष (सैन्ड स्टोन खनिज 807022.548 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट 89669.172 टन प्रतिवर्ष) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आँकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है।

श्री विवेक गोयल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) भरतपुर, उपखण्ड अधिकारी रूपवास एवं पधारे हुये समस्त ग्रामवासियों का अभिनंदन किया एवं

जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा कि जनसुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास एवं संचार होता है, साथ ही परियोजना से पर्यावरण के संरक्षण संबंधित जनमानस की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते हैं। श्री विवेक गोयल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन, मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियां, सुझाव अथवा राय दे सकते हैं।

तत्पश्चात् इकाई के तकनीकी परामर्शदाता श्री अरुण कुमार यादव द्वारा खनन परियोजना एवं खनन कार्य के पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सारांश के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया की पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खदान परियोजना द्वारा किस प्रकार परियोजना का विकास किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण में श्रम कल्याण के लिए प्रस्तावित खर्च के तालिका ब्यौरा में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई जिसमें 66 श्रमिकों के स्वास्थ्य सुविधा हेतु आवंटित राशि की गणना में त्रुटि पाई गई जिसके प्रत्युत्तर में तकनीकी सलाहकार द्वारा त्रुटि सुधार का आश्वासन दिया गया।

तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर द्वारा पधारे गये लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में सुझाव/आपत्ति/राय बताने को कहा गया।

इसके पश्चात् सर्वप्रथम दर्याब सिंह निवासी ग्राम जौतरौली तहसील रूपबास, जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि मेरी कृषि भूमि प्रस्तावित खनन ईकाई के पास है तथा खनन कार्य करते समय सावधानियाँ रखी जावे जिससे मेरी कृषि भूमि कोई नुकसान न हो तो खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

इसके प्रत्युत्तर में पर्यावरण सलाहकर श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि सभी आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी व्यवस्था करने के उपरान्त ही खनन कार्य किया जायेगा जिससे परियोजना के समीपवर्ती कृषि भूमि को कोई भी क्षति नहीं पहुँचे।

तत्पश्चात् श्री उदयभान निवासी ग्राम राजपुरा तहसील रूपबास जिला भरतपुर ने जानना चाहा कि यहाँ के लोगो को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है क्या खदान चालू होने से इस क्षेत्र के स्थानीय लोगो को यहीं पर रोजगार उपलब्ध होगा। श्री उदयभान का समर्थन करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) ने कहा कि खनन कार्य हेतु कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के लिये क्या योजना रहेगी।

इसके प्रत्युत्तर में पर्यावरण सलाहकर श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि यदि प्रस्तावित खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलती है तो योग्यता एवं कौशल के आधार पर स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। आवश्यकतानुसार समय-समय पर श्रमिकों को जरूरी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

श्री विजय सिंह निवासी ग्राम चैकोरा, तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा परियोजना कि सहमति व्यक्त करते हुये कहा गया कि इस क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत है खान का कार्य चालू होने से स्थानीय मजदूरों को काम मिलेगा ।

श्री श्याम सिंह, सरपंच, ग्राम राजपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा विचार व्यक्त करते हुए बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन परियोजना में कार्य करने वाले स्थानीय श्रमिकों का खनन कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाये तथा खनन श्रमिकों का जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा आदि किया जाये ।

इसके प्रत्युत्तर में पर्यावरण सलाहकर श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि खनन परियोजना के प्रस्ताव में श्रमिक हित के सभी आवश्यक बीमा योजना के प्रावधान निहित हैं तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का संधारण भी किया जायेगा ।

श्री आकाश निवासी ग्राम जौतरौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि वो कृषक पृष्ठभूमि से आते हैं तथा परियोजना के प्रारम्भ होने से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जो कि स्थानीय निवासियों के हित में रहेगा ।

श्री धर्मेन्द्र निवासी ग्राम जौतरौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना का समर्थन करते हुए बताया कि परियोजना के प्रारम्भ होने से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जो कि स्थानीय निवासियों के हित में रहेगा ।

श्री रविन्द्र निवासी ग्राम जौतरौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा जानना चाहा गया कि प्रस्तावित परियोजना के प्रारम्भ होने से क्या भवन निर्माण सम्बन्धी कच्चा उत्पाद सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

इसके प्रत्युत्तर में पर्यावरण सलाहकर श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि खनन से निकलने वाले उत्पाद प्रसंस्करण के बाद ही भवन निर्माण में इस्तेमाल किये जा सकते हैं । स्थानीय बाजार में उचित दरों पर भवन निर्माण हेतु कच्चा माल उपलब्ध रहेगा ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर द्वारा जानकारी चाही गयी कि परियोजना से सम्बन्धित भारी वाहनों के आवागमन से सड़कों टूटने से बचाने हेतु क्या योजना है ।

इसके प्रत्युत्तर में पर्यावरण सलाहकर श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि वाहनों में क्षमता से अधिक माल नहीं भरा जावेगा तथा माल आदि को ढकने के लिये त्रिपाल आदि का प्रयोग किया जायेगा ।

श्री श्याम सिंह, सरपंच, ग्राम राजपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा जानना चाहा कि क्या पत्थर पर लगने वाली रॉयल्टी का कुछ हिस्सा ग्रामीण विकास में लिया जायेगा ।

इसके प्रत्युत्तर में पर्यावरण सलाहकर श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि पत्थर पर लगने वाली रॉयल्टी का कुछ प्रतिशत डी.एम.एफ.टी. फण्ड में जमा कराया जाता है जो कि स्थानीय क्षेत्र के विकास में काम में लिया जाता है।

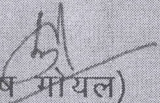
श्री विजयपाल सिंह निवासी ग्राम जौतरौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा जानना चाहा गया कि प्रस्तावित परियोजना के आस-पास कृषि भूमि पर लगी फसल को खराब होने से बचाने के क्या उपाय हैं।

इसके प्रत्युत्तर में पर्यावरण सलाहकर श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि खनन परियोजना में पर्यावरण प्रदूषण के समस्त उपाय अपनाये जायेंगे जिसमें कि धूल दमन हेतु पानी का छिड़काव, आदि की उचित व्यवस्था की जावेगी

तदुपरांत कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) महोदय, भरतपुर ने समीक्षात्मक उद्बोधन एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित जन को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा रखा गया विचार रिकॉर्ड किये गये हैं तथा आपके विचार व सुझाव/आपत्तियाँ सभी सम्मिलित कर संबंधितों को भेज दी जायेंगी, जिस पर समग्र बिन्दुओं पर विचारोपरांत ही खदान को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) द्वारा पुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस परियोजना के बारे में सुझाव या शिकायत हो तो बैठक को अवगत कराये। अंत में क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद के साथ श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) भरतपुर की अनुमति से पर्यावरणीय लोकसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।


(विवेक गोयल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., भरतपुर


(सुभाष गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (शहर)
भरतपुर (राज.)



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल होस्पिटल के पीछे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

मेसर्स नरेन्द्र तिवारी, सैण्ड स्टोन माइन्स (खनन पट्टा संख्या 27/1994, क्षेत्रफल 10.00 हेक्टर) निकट ग्राम राजपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 8,96,691.72 टन प्रतिवर्ष (सैण्ड स्टोन खनिज 807022.548 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट 89669.172 टन प्रतिवर्ष) के लिये पर्यावरण स्वीकृति बाबत जन सुनवाई दिनांक 16.12.2022 को अपरान्ह 03.00 बजे, राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, ग्राम जौतरौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

क्र.सं.	नाम	पता	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
1	श्रीमती म. र. गोमरस	ADP - City - 22045	9829650425	
2	श्रीमती रमेश	SDO - रूपवास	725786421	
3	श्रीमती गोमरस	TDR - रूपवास	8114416535	
4	Vivek Soni	RO, RSCB, Bharatpur	9520245500	
5	Anwar Tripathi	JEE, RSCB, Bharatpur	7002322292	
6	Balchandra Singh	JEE, RSCB, Bharatpur	9950631914	
7	Sanjay Singhal	Additional Administrative Officer	9413014189	
8	ASHUTOSH AN	BAYANA	8107368518	
9	राहुल तिवारी	BAYANA	6325029264	
10	Shubham	Bayana	8504028645	
11	अरवि	जौतरौली	6378120169	
12	जितेंद्र सिंह	जौतरौली	8112230103	
13	संजयलाल	जौतरौली	7739708421	
14	अमरिंद	जौतरौली	972652052	
15	विजयलाल	जौतरौली	9057247552	
16	अशोक	जौतरौली	9694416559	
17	मावसिंह	जौतरौली	9672566318	
18	नरेशिंह	जौतरौली	961325377	
19	जौतरौली	जौतरौली		
20	अपराजिता	जौतरौली	6576552019	



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल होस्पिटल के पीछे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

मैसरी नरेंद्र तिवारी संपन्न स्थान माइन्स खनन घट्टा संख्या 27/1994 क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर निवृत्त ग्राम
भरतपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 8,96,691.72 टन प्रतिवर्ष (सिंघ स्टोन
खनिज 807022.548 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट 896691.72 टन प्रतिवर्ष) के लिये पर्यावरण स्वीकृति बाबत जन सुनवाई
दिनांक 16.12.2022 को अपराह्न 03.00 बजे, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम जीतरीली तहसील रूपवास जिला
भरतपुर का उपस्थित निम्नलिखित

21	पन्नीक	जीतरीली	8254504410 कर्णिक
22	उदयचन्द	रूपवास	8161079246 उदयचन्द
23	जेमरि	जीतरीली	8950424358 जेमरि
24	हेमरि	जीतरीली	6378709758 हेमरि
25	गोपाल	जीतरीली	83230558 रघुवन्ध
26	राजेश	जीतरीली	8024110316 राजेश
27	विजय	जीतरीली	मंगलानरि
28	रामराम	जीतरीली	8504818905 विजय
29	मंगलानरि	जीतरीली	8114456019 मंगलानरि
30	राजेश	जीतरीली	8955579271 राजेश
31	राजेश	जीतरीली	8308192737 राजेश
32	राजेश	जीतरीली	9024922972 राजेश
33	राजेश	जीतरीली	6375302458 राजेश
34	राजेश	जीतरीली	8441060196 राजेश
35	राजेश	जीतरीली	966425561 राजेश
36	राजेश	जीतरीली	7742740848 राजेश
37	राजेश	जीतरीली	9172127970 राजेश
38	राजेश	जीतरीली	767254408 राजेश
39	राजेश	जीतरीली	9024666377 राजेश
40	राजेश	जीतरीली	
41	राजेश	जीतरीली	
42	राजेश	जीतरीली	

परिशिष्ट-अ



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल

जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे

श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

मैसर्स मरन्द तिवारी सेण्ड स्टोन माइन्स (खनन पट्टा संख्या 27/1994, क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर) निकट ग्राम राजपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 8,96,691.72 टन प्रतिवर्ष (सेण्ड स्टोन खनिज 807022.548 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट 89669.172 टन प्रतिवर्ष) के लिये पर्यावरण स्वीकृति बाबत जन सुनवाई दिनांक 16.12.2022 को अपराह्न 03.00 बजे, राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम जीतरौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

43	①	जीतरौली	9772731212	①
44	मरनासिंह	जीतरौली	8003114295	मरनासिंह
45				
46	पिंजरीदास			
47	महेश सिंह	जीतरौली	9784245063	महेश
48	मानासिंह	जीतरौली		
49	भिरवज	जीतरौली	9166455458	मानासिंह भिरवज
50	वीरम सिंह	जीतरौली		
51	लोकेश सिंह	जीतरौली	8955410818	वीरम सिंह
52	कुमार	जीतरौली	7222860664	लोकेश सिंह
53	विपिन कुमार	जीतरौली	9887635205	कुमार
54			8824120024	विपिन
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

दैनिक भास्कर

श्री सांभल के दोपहर लड़ता है।
जुहुरामदेव लोणी का जीवन
हो लिए रक्तदान का आह्वान
हो मौके पर मोहकल टीम द्वारा

खता हो। इस मौके पर अतिथि
जितेन्द्र सिंह परमार, राजेश शर्मा, प्रकाश
सरम, राकेशदयाल शर्मा, अरुणेश
गोयल, जयप्रकाश पासरा आदि रहे।

कालों के नाम रहे। 11 सुनिय
आपने में जीवन निर्यात दूर करने
कन्द के समान बेतल-भरा देने,
मौजूद थे।

कुलकर्णी, जितेन्द्र सेंगनिया,
प्रभुदयाल, मोहन श्याम आदि
मौजूद थे।

ना का हुआ मंचन भेजे वन में...



न की लीला का हुआ मंचन।

न स्वयं को जीवित रखने का
न अब आगे लाओ मैसा। पीत ने
हो में रामलीला के प्राचीन स्वरूप
ने बेलाभूषा की सजने में नारायण
देवता, रमेश कपूर, रॉड शर्मा,
रवि चौधरी ने सहयोग किया।

अध्यक्ष बने

न गहरी ने संभोजन केआर कोटेल न



का मंचन करती लोग।

होने की नक्की ईट रोचने की फिराक में घूमते एमपी के 3 सदमाश पकड़े

इलाका स्थानीय थाना पुलिस ने
दुबारा की दो रात मुखबिर की
समा पर कार सवार तीन लोगों की
कब्जा किया है। थानाधिकारी
कल्याण सिंह ने बताया मुन्ना पर
के एमपी नंबर की कार में तीन
व्यक्ति काम में जुड़ा की ओर उस
है। जिनके पास नक्की रोने की
है तथा तथ्य है। इस मुन्ना पर
के के समाने नक्की की गई जहां
मा की ओर से आती एक एमपी
न की गाड़ी को रोका उम्मे सट्टे
न ईट पीकल की मिली तथा एक
10 बीर का अस्त्र कहा और S
बेदा कार्टेस बरामद हुए है। कार
सह राजेश चंडा निवासी जयपुरा
धनवर, गौरव चंडा तथा शुभम
शिर निवासी जयपुरा मुखबिर की
कब्जा किया है।

अंतर महाविद्यालय क्रॉस कंट्री 10 किमी. दौड़ में 15 कॉलेजों की टीम हुई शामिल

मुम्बेरा की रतन सिंह पीजी कॉलेज
कॉलेज में महाविद्यालय क्रॉस कंट्री 10 किमी
दौड़ आयोजित की गई। प्रतियोगिता
में 15 महाविद्यालयों की टीमों ने
भाग लिया। विजेता टीमों में अजीत
कुमार हरिदत्त कॉलेज भरतपुर,
हिमंशु धारवाड़, राजेश रायन कॉलेज
वैर, धीरज हरिदत्त कॉलेज, राजपाल
एमएसजे, कॉलेज, मोहित कुमार
एमएसजे कॉलेज तथा कंट्री
एसआरएस कॉलेज कुम्हार विजेता
रहे। रजत चर्मा में रितु कुमारी अरुणेश
कॉलेज भरतपुर, पूजा एमएसजे
कॉलेज, पूनम गहरी कॉलेज भरतपुर,



विजेताओं का पुरस्कार करते अधिकारी

दीपा आर्यन कॉलेज भरतपुर,
अर्चना एमएसजे तथा रिया फौजदार
की रतन सिंह महिला पीजी कॉलेज
कुम्हार विजेता रही। कार्यक्रम के

मुख्य अतिथि महाविद्यालय मुखमल
विश्वविद्यालय कुम्हार कुलपति
आरके भास्कर ने गा शायर पर दीप
प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ
किया एवं विजेता छात्र-छात्राओं
को मेडल देकर सम्मानित किया।
कुलकर्णी ने ऑल इंडिया लेवल पर
अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में
अपने वृज विश्वविद्यालय का नाम
रोशन करने को कहा। कार्यक्रम की
अध्यक्षता थाना अधिकारी हिमंशु
सिंह राजावत ने की। इस अवसर
पर खेल अधिकारी निरजन सिंह,
प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह,
भागवान सिंह, सहन सिंह आदि
उपस्थित रहे।



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल

जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, रणमा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

रा.प्र.नि.मं./क्षे.का. (भरतपुर), वी.टी.पी., 2412/1421

दिनांक: 09.11.2022

प्रस्तावित एनईटी हेतु जल सतवाड़ के लिए आज सुचना

सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिनियम प्रमाण एन.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स नरेन्द्र तिवारी, सेण्ड स्टीन मॉडर्न (खान पहा संख्या 27/1994, क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर) निम्न नाम राजपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 8,96,691.72 टन प्रतिवर्ष (सेण्ड स्टीन खनिज 807022.548 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट 89669.172 टन प्रतिवर्ष) के लिये पर्यावरण एनईटी हेतु प्रस्तावित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम में परिवर्तित) के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

उपरोक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिनियम दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आदेश की सुचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाता आवश्यक है अतः समयतः सम्बन्धित को इस नोटिस के माध्यम से एनईटी हेतु सूचित किया जाता है कि यह उक्त वनन परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई हेतु दिनांक 16.12.2022 की अपरान्ह 03.00 बजे, राजीव गांधी मेधा केन्द्र, जीतरीली तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित होकर सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, रणमा प्रसाद मुखर्जी नगर, जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, भरतपुर (e-mail: rorpcb.bharatpur@gmail.com) अथवा मुख्यालय, 04 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना दुगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

उक्त परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट (ई.आई.ए. रिपोर्ट) विमर्शिता कागजों में उपलब्ध है।

1. कार्यालय जिला कलेक्टर, भरतपुर।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, रणमा प्रसाद मुखर्जी नगर, जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, भरतपुर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 04-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना दुगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, जयपुर।
5. महापंचायत अधिपति, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर।
6. कार्यालय उप सचिव, रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
7. कार्यालय पंचायत समिति, रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
8. कार्यालय तहसीलदार, तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
9. कार्यालय, ग्राम पंचायत- जीतरीली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

प्रस्तावित लोक सुनवाई पौष्टिक मतभेदी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार, द्वारा समय-समय पर परिवर्तित निर्देशों के अधीन रहेगी तथा सभी पर्यावरण/सांस्कृतिकों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(निवेदक गोयल)

क्षेत्रीय अधिकारी

रा.प्र.नि.मं. भरतपुर

री पन्ना

सांध्य ज्योति दर्पण

र पर आयुक्त

ईसीडीएस के अधिकारियों को तब तैयार कर विभाग को जवाने के निर्देश दिये जिससे गनबाडी केन्द्र स्वीकृत कराया सके। ग्राम खेडलीमन्ना के पंच द्वारा सडक निर्माण कराने, गायत सहायक साहिद द्वारा श्रमंजी चिरंजीवी स्वास्थ्य बोमा जना में पंजीयन न होने की कायत पर चिकित्सा विभाग को गीयन में आ रही समस्या के गधान करने के निर्देश दिये। ठौल निवासी ताहिर पुत्र समोहम्मद के 11केवी विद्युत इन गिरने से दिव्यांग होने पर ायक उपकरण एवं स्वरेजगार हेतु । उपलब्ध कराने के प्रकरण में माजिक न्याय एवं अधिकारिता भाग के उपनिदेशक को आवेदक दिव्यांग जनकल्याणकारी योजना लाभान्वित कराने के निर्देश दिये। सुनुवाई के दौरान प्रधान साकेत न, पूर्व प्रधान जालिस खान, खण्ड अधिकारी सुनीता यादव, कास अधिकारी देशवीर सिंह सहित ला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय धकारी मौजूद रहे।

योगिता शुरू

ल में मुख्बार से 66वीं जिला स्तरीय ट और बॉक्सेटवाल की टीम भाग ले रेगरी रखी गई है। जिनमें सेकेडरी और 12 की 41 टीमों का पंजीयन हुआ है। के बीच हुआ। प्रतियोगिता संयोजक कों से परिचय लिया। मुख्य निर्णायक णा की टीम को 8 पॉइंट के अंतर से ह चीच हुए मैच में कर्मा की टीम 20 मीणा, धान सिंह, उमेधर प्रसाद शर्मा,

इंदिरा रसोई संचालन में लापरवाही नहीं की जायेगी बर्दास्त-आयुक्त

भरतपुर 11 नवम्बर। "कोई भूख न सोए" विचार धाय के तथे झुटे वर्तनों को खुले में नहीं छोड़े (का.सं.) नगर निगम आयुक्त तहत इंदिरा रसोई में लाभाधियों को वर्तनों की तुरंत साफ करें। इन सभ आखिलेप कुमार पिप्पल ने गुरुवार को इंदिरा रसोई संचालकों की बैठक के दौरान इंदिरा रसोई संचालन एवं रसोई परिसर में स्वच्छता में कोई भी लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी।

आयुक्त पिप्पल ने बताया कि हाल ही में तीन इंदिरा रसोईओं का आकस्मिक निरीक्षण करने पर संचालन में लापरवाही बरतने पर कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि हमें राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप



मात्र आठ रुपये में पीथक, गुणवत्ता युक्त, सम्मान के साथ बैठकर भोजन कराया जाता है साथ ही स्वच्छता के लिए हाथ धोने के लिए वास-वेसिन को अलग से व्यवस्था होनी चाहिए

तथा झुटे वर्तनों को खुले में नहीं छोड़े वर्तनों की तुरंत साफ करें। इन सभ कार्यों में कोई भी लापरवाही नहीं बरतें।

आयुक्त पिप्पल ने कहा कि इंदिरा रसोई रेजगार के माथ-साथ पुण्य कमाने का भी अवसर प्रदान करता है। यदि मन लगाकर साफ-सुथरा, ताज स्वादिष्ट भोजन किसी भूखे इंसान को खिलाते हैं तो निश्चय ही यह एक पुण्य कार्य भी माना जायेगा। इसलिए यह सबसे जरूरी है इस कार्य को पूरी मेहनत, लगन व विश्वास के साथ संपादित करें।



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

जिल्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भारतपुर (राज.)

राष्ट्रियम/क्षेत्रीय (भारतपुर) /की टी.पी. - 2412/1421

दिनांक : 09.11.2022

प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वीकृति हेतु जल सफाई के लिए आग संचालन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव अंशजलन अभिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रकाशन के अनुसार मैसर्स कोल्ड लिक्वी, रीगड स्टोन माइन्स (राजस्थान) प्रा. लि. संस्था 27/1994, क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर) निकट ग्राम राजपुरा बलमौर जिल्ला भारतपुर की प्रस्तावित उपकरण क्षमता 8,96,691.72 टन प्रतिवर्ष (रीगड स्टोन खनिज 807022.548 टन प्रतिवर्ष अपरिपक्व 89669.172 टन प्रतिवर्ष) के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां सचिव का) में मण्डल के नाम से अधिलेखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनुवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाते उपर्युक्त है अतः समस्त सम्बन्धित को इस नोटिस के माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यह उक्त खनन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनुवाई हेतु दिनांक 16.12.2022 को अपराह्न 03.00 बजे, राष्ट्रीय मांझी सेवा केन्द्र, जिलास्त्री तहसील रूपवास जिला भारतपुर में उपस्थित होकर सुझाव/आवेद प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आवेद इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, जिल्दल हॉस्पिटल के पीछे, भारतपुर (e-mail - rajpcb.bharatpur@gmail.com) अथवा मुख्यालय, 04 सार्वजनिक क्षेत्र, इलाहाबाद रोड, जयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

उक्त परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरण प्रभाव अंशजलन रिपोर्ट (ई.आई.ए. रिपोर्ट) निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. कार्यालय जिला कलक्टर, भारतपुर।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, जिल्दल हॉस्पिटल के पीछे, भारतपुर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 04-संसाधन क्षेत्र, इलाहाबाद रोड, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, जयपुर।
5. सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भारतपुर।
6. कार्यलय उप खण्ड अभियन्ता, रूपवास उपखण्ड, भारतपुर।
7. कार्यलय पंचायत समिति, रूपवास तहसील रूपवास जिला भारतपुर।
8. कार्यलय तहसीलदार, तहसील रूपवास जिला भारतपुर।
9. कार्यलय, ग्राम पंचायत- जौतरी तहसील रूपवास जिला भारतपुर।

प्रस्तावित लोक सुनुवाई वैश्विक महापरी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार, द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अधीन रहेगी तथा सभी पारित/समाप्तियों की फलना सुनिश्चित करनी होगी।

(विशेष मोचन)
क्षेत्रीय अधिकारी
राष्ट्रियम, भारतपुर